...हुई / वकील अपीलार्थी
उपस्थित / अपील पर वकील अपीलार्थी की
बहस सुनी गई / पत्रावली वास्ते आदेश अपील
दिनांक 16.10.25 को पेश हो /

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

16/10/25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन
रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.11.25 को पेश हो।

18.11.25 पत्रावली पेश हुई / वकील अपीलार्थी
उपस्थित / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत
धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
स्वीकार किया जाता है / विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो / तहसीलदार
मण्डावर को तहरीर जारी हो / पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो /

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01/2025	15.04.2025	18.11.2025

बउनवान

खुशीराम पुत्र मूल्या, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अपीलांट

बनाम

ग्राम पंचायत उकरूंद जरिये सरपंच उकरूंद, पंचायत समिति महवा, जिला दौसा।

..रेस्पोन्डेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री धर्मसिंह राजपूत।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 07.02.2008
ग्राम पंचायत उकरूंद, पंचायत समिति महवा, दौसा अन्तर्गत
धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 576, 577, 586, 588, 589, 598, 600, 602, 603, कुल किता 09, कुल रकबा 3.18 हैक्टे., आराजी खसरा सं. 1083, 1085, 1086, 1088, 1089, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 587, कुल किता 14, कुल रकबा 4.56 हैक्टे., आराजी खसरा सं. 237, 239, 240, 241, 256, 575, 601, 604, 605, 606, 608, 609, 809, 810 811, 812, कुल किता 16, कुल रकबा 2.95 हैक्टे., आराजी खसरा सं. 238, 599, 607, कुल किता 03, कुल रकबा 0.04 हैक्टे. वाके ग्राम ऊकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। सम्पूर्ण विवादित आराजीयात प्रार्थी अपीलाण्ट के पिता मूल्या पुत्र सोनपाल की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी जिसकी मृत्यु होने के बाद उनकी विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी अपीलाण्ट के नाम नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 07.02.2008 को ग्राम पंचायत ऊकरूंद द्वारा खोला गया था। उक्त नामान्तकरण प्रार्थी अपीलाण्ट के नाम ग्राम में बोलता नाम केशव पुत्र मूल्या के नाम से खोल दिया जबकि प्रार्थी अपीलाण्ट का सभी दस्तोवजों में तथा उसके बच्चों के शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों में नाम खुशीराम पुत्र मूल्या है। मूल्या पुत्र सोनपाल के एक मात्र पुत्र प्रार्थी अपीलाण्ट ही है तथा केशव एवं खुशीराम दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के है जिससे उक्त नामान्तकरण केशव के नाम खोल दिये जाने से अपीलाण्ट को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि प्रार्थी अपीलाण्ट का नाम केशव मात्र राजस्व रिकॉर्ड में ही है और सभी जगह खुशीराम है। इस कारण उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत ऊकरूंद द्वारा गलत खोला गया है। ग्राम ऊकरूंद में केशव पुत्र मूल्या एवं खुशीराम पुत्र मूल्या एक ही व्यक्ति प्रार्थी अपीलाण्ट का नाम है। इस कारण उक्त नामान्तकरण प्रार्थी अपीलाण्ट के गांव में बोलता नाम से खोल दिये जाने से उसे एवं उसके वारिसों को क्षति पहुंचा रहा है। इस कारण उक्त नामान्तकरण को निरस्त किया जाकर पुनः

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

खुशीराम पुत्र मूल्या के नाम से खोला जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपीलाण्ट को पूर्व में गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं थी लेकिन अब राजकीय सुविधाओं में अड़चन पैदा हुई इस बात की जानकारी हुई जिससे प्रार्थी अपीलाण्ट पहले तहसीलदार मण्डावर से दुरूस्त किये जाने हेतु मिला तो उन्होंने दिनांक 09.04.2025 को उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्त करने से स्पष्ट इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने को कहा। उक्त विवादित नामान्तकरण के बने रहने से एवं उसके आधार पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त इन्द्राज के बने रहने से अपीलाण्ट को भारी क्षति हो रही है। इसलिये अपीलाण्ट को यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेण्ट लाना लाजिम आया है। विनाय अपील दिनांक 07.02.2008 को नामान्तकरण खोला गया तथा उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार मण्डावर द्वारा दिनांक 09.04.2025 को दुरूस्ती से साफ इंकार करने व सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने हेतु आदेशित करने पर पैदा हुई है। अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामांतकरण सं. 454 दिनांक 07.02.2008 को निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पुनः अपीलांट के नाम से नामांतकरण खोले जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट बाद नोटिस तामील, कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अपील में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में तहसीलदार मण्डावर के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 04.08.2025 प्रस्तुत की गई कि ग्राम उकरूंद की वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 429 किता 16 रकबा 2.95 हैक्टे. एवं खाता सं. 75 किता 09 रकबा 3.18 हैक्टे., में एवं खाता सं. 73 किता 14 रकबा 4.56 हैक्टे. में केशव पुत्र मूल्या जाति मीना सा. देह खातेदार अंकित है एवं शेष इन्द्राज संलग्न जमाबंदी अनुसार है। प्रकरण के उनवानी अपीलांट का नाम ग्राम उकरूंद नामांतकरण सं. 454 दिनांक 07.02.2008 (विरासत) द्वारा केशव पुत्र मूल्या के नाम से स्वीकृत हुआ है। वादी का नाम केशव पुत्र मूल्या और खुशीराम पुत्र मूल्या एक एवं जाति मीना एक ही व्यक्ति है एवं सही नाम खुशीराम पुत्र मूल्या होना बताया गया है।

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2025 एवं ग्राम पंचायत उकरूंद के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 454 आदेश दिनांक 07.02.2008 का अवलोकन किया गया।

5. ग्राम पंचायत उकरूंद के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 454 आदेश दिनांक 07.02.2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत उकरूंद द्वारा मूल्या पुत्र सोनपाल के फौत होने पर उसके वारिस केशव पुत्र मूल्या के नाम की प्रविष्ठी दर्ज की गयी। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2025/1552 दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

04.08.2025 के अनुसार, ग्राम उकरूंद की वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 429 खसरा किता 16 रकबा 2.95 हैक्टे. एवं खाता सं. 75 खसरा किता 09 रकबा 3.18 हैक्टे., में एवं खाता सं. 73 खसरा किता 14 रकबा 4.56 हैक्टे. में केशव पुत्र मूल्या जाति मीना सा. देह खातेदार अंकित है एवं शेष इन्द्राज संलग्न जमाबंदी अनुसार है। प्रकरण के उनवानी अपीलांट का नाम ग्राम उकरूंद नामांतकरण सं. 454 दिनांक 07.02.2008 (विरासत) द्वारा केशव पुत्र मूल्या के नाम से स्वीकृत हुआ है। वादी का नाम केशव पुत्र मूल्या और खुशीराम पुत्र मूल्या एक एवं जाति मीना एक ही व्यक्ति है एवं सही नाम खुशीराम पुत्र मूल्या होना बताया गया है।

6. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत उकरूंद के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 454 आदेश दिनांक 07.02.2008 में मूल्या पुत्र सोनपाल का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटि हुई है जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 454 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी केशव पुत्र मूल्या की हद तक निरस्त किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत उकरूंद के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 454 आदेश दिनांक 07.02.2008 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी केशव पुत्र मूल्या की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार मण्डावर को प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार मण्डावर उक्त नामान्तरकरण सं. 454 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी केशव पुत्र मूल्या के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार मण्डावर को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 18.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज